23-6-16 मगना

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प लेकवा पर पेश हुई। वादी स्वयं मगना उपस्थित। अन्य वादीगण उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील रहक तामील प्राप्त नहीं हुये। किन्तु प्रतिवादीगण क्र 1 से 5 उपस्थित हुये। किन्तु हस्ताक्षर करने से मना किया गया। अन्य प्रतिवादी क्र 6 व 7 उपस्थित नहीं। वादी ने बहस करनी चाही। वादी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वादी ने वाद पत्र में कोई नहीं। तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वाद पत्र पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम नाहरखेड़ा तहसील मांडल में स्थित होकर मगना, रामा s/o भैरू कुम्हार, के नाम दर्ज रेकार्ड हो. जरिये इन्तकाल नं. 247 दिनांक 23-1-09 के द्वारा रामा s/o भैरू के बजाय कन्हैयालाल, शंकर, सुरेश s/o रामा, सीता w/o रामा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2063 से 2066 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार वादीगण

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन [illegible] कलक्टर माण्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दादरसी आराजी नं० 273 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से वादीगण को बेदखल न करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के चाही है। जवाब प्रतिवादीगण की तरफ से आराजी नं० 273 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा की पत्थरगढ़ी कराई गयी। जिसे वादीगण का कब्जा नहीं होना बताया। जिसकी तहसील प्रस्तुत पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 28-5-2008 की प्रमाणित फोटो प्रति से होती है। वादीगण अपने खाते व कब्जे कास्त की आराजियात के बाबत प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाहता है जबकि वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा कास्त नहीं है तो फिर स्थायी निषेधाज्ञा कैसे प्राप्त कर सकता है क्योंकि विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 6 व 7 का कब्जा है न कि खातेदार वादीगण का। ऐसी स्थिति में वादीगण किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त नहीं कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

ः आदेश ः

वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। ~~पत्रावली~~ फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मण्डल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट–लेसवा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–164/2009 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188–92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1–श्री मगना पिता भैरू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–श्री कन्हैयालाल पिता रामा कुम्हार, उम्र नाबालिग बबिलायत माता सीता बेवा रामा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3–श्री शंकर पिता रामा कुम्हार, उम्र नाबालिग बबिलायत माता सीमा बेवा रामा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

4–सुरेश पिता रामा कुम्हार, उम्र नाबालिग बबिलायत माता सीमा बेवा रामा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

5–श्रीमती सीता बेवा रामा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

————वादीगण

बनाम

1–श्री कल्याण पिता मूला खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–श्री मगना पिता भागू जाट, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3–श्री बालू पिता मांगू जाट, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

4–श्री छीतर पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

5–श्री नानू पिता श्रीकिशन जाट, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

6–श्री अमरचन्द पिता नंगजी खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

7–श्री गोपी पिता रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

————प्रतिवादीगण

———

वादीगण की ओर से –– एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 23.6.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मांडल

खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाता हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपन वहन करें।

(देवी(सिंह))
[illegible] अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, एवं
परगना [illegible] माण्डल

आज दिनांक 23.6..2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

(देवी सिंह)
[illegible]
उपखण्ड अधिकारी एवं
परगना [illegible] माण्डल